

## परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)  
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की  
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

### भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

#### परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव  
/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त  
विवरण।

जनपद रुद्रप्रयाग के विथ्यो जखोली में  
जिला योजना के अन्तर्गत मयाली-गुप्तकाशी  
मोटर मार्ग के किमी 0 13.50 में पुल से  
पाण्डवथली राहायु 0 चिकित्सालय,  
राहायु 0 मार्ग 0 पाण्डवथली- उछोला-माना  
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि  
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि  
और उसके आस-पास के वनों की  
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने  
का औचित्य।

स्वीकृत लागत = रु0 12.60 लाख मात्र।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये  
जाने के लिए)

प्रस्तावित मार्ग द्वारा वन क्षेत्र होते हुए ही  
सम्बन्धित मार्गों को जोड़ने हेतु एक मात्र  
विकल्प है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की  
संभावना है।

संलग्न है।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार  
विवरण:

0.001 लाख मानव दिवस।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का  
विवरण, यदि कोई है

0.0000 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि।  
0.3500 हैक्टेयर सिविल वन भूमि।  
0.0000 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि  
0.0700 हैक्टेयर निजी/नाप भूमि

क) परिवारों की संख्या

- शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के  
परिवारों की संख्या

- शून्य

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने  
के लिए)

- शून्य

-2-

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?  
(हाँ / नहीं)
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके संलग्न है।  
अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक  
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य  
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के  
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र  
आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता  
(वचनवद्धता संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण  
पत्रों/दस्तावज़ों का व्यौरा। संलग्न है।

दिनांक २५/०५/१५

स्थान - रुद्रप्रयाग

(ई० इन्द्रजीत बोस)  
अधीशासी अभियन्ता  
प्राचीय खण्ड लो० नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

प्रस्ताव की कम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

**भाग— ॥**

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

परियोजना/स्कीम का स्थान

जिला योजना के अन्तर्गत मयाली—गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा०आय० चिकित्सालय—रा०उ०मा०वि० पाण्डवथली—उछोना—माना मोटर मार्ग ल० 1.00 किमी० (वा० 0.600 किमी०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	रुद्रप्रयाग।
iii)	वन प्रभाग	रुद्रप्रयाग
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है० में )	0.700 है०
v)	वन की कानूनी स्थिति	0.3500 है० सिविल सोयम भूमि 0.0000 आरक्षित वन भूमि 0.0700 है० नाप भूमि 0.0000 वन पंचायत भूमि
vi)	हरियाली का घनत्व	<del>0.0000</del> 0.10
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणाम (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० – 8 मी० पर परिणाम भी संलग्न किए जाए	सूची में संलग्न है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	0.100 किमी०
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)	नहीं
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण—पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।
8—	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग—1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित मार्ग हेतु दो संरेखण उपलब्ध हैं।
9—	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का	लागू नहीं

ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चहरहे हैं।

10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।

iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

11— जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12— प्रभाग/जिला प्रोफाइल

i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

ii. जिला का वन क्षेत्र।

iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर

v. 2015 ..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13— प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

संलग्न

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न

संलग्न है।

वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

1984 वर्ग किमी 0

1790.995 वर्ग किमी 0

580.852 ha. 145 case

727.29 ha.

X

X

727.29 ha.

विकास कार्य

प्रकरण रुद्रप्रयाग वन संरक्षण

से सम्बन्धित है। अतः

जनहित में सिफारिश की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

राजाराम द्विवेदी  
उप वन संरक्षक  
राजस्थान वन प्रबन्ध  
दल

**भाग—III**

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14— स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर:

तिथि.....

नाम और पदनाम

स्थान—

सरकारी मोहर

**भाग—IV**

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।  
 (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

## भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी  
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17— राज्य सरकार की सिफारिशः  
(उपर्युक्त भाग— || या भाग— || | या  
भाग—IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी  
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर  
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर